

प्रश्न सं. [क. 1730]

परिशिष्ट

कार्यालय नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1730 की जानकारी

क्र	शिकायत कर्ता का नाम	शिकायत का विवरण	कार्यवाही का विवरण
1	अभिषेक द्विवेदी ग्राम पुरैना तह. जवा जिला रीवा	ग्राम पुरैना जवा की राशन दुकान के दुकानदार द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया एवं राशन कम दिया गया	जांच में उचित मूल्य दुकान कम प्रदाय करना नहीं पाया गया, किन्तु उपयोग में लाया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा सत्यापित नहीं पाया गया। अतः विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 24/33 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
2	अंदीरा प्रसाद शर्मा ग्राम लोहदवार, तह. रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा	ग्राम लोहदवार स्थित राशन दुकान के दुकानदार राकेश सेन द्वारा राशन के अनुसार राशन नहीं दिया जाता है, राशन कम दिया जाता है।	जांच में शिकायत सही पायी गई। उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय किये जा रहे गेहूं कम तौल करते पाया गया तथा तथा उपयोग में लाया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा नियमानुसार सत्यापित नहीं पाया गया। अतः विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 30 एवं 24/33 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
3	मोहम्मद, ग्राम साहाबल, सतना	ग्राम सोहाबल स्थित राशन दुकान के सेल्सेन गुलशेर द्वारा राशन का मूल्य अधिक लिया जा रहा है एवं राशन कम दिया जा रहा है।	जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई। उचित मूल्य दुकान पर हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा राशन का कम तौल नहीं पाया गया एवं उपयोग में लाया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा नियमानुसार सत्यापित पाया गया।
4	विजय प्रसाद पटेल ग्राम हरदासपुर डेल्हा, मैहर	ग्राम हरदासपुर स्थित राशन दुकान के सेल्समैन द्वारा राशन कम दिया जा रहा है।	जांच में ग्राम हरदासपुर की राशन दुकान महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित होना पाया गया। हितग्राहियों को प्रदाय किया जा रहा राशन का कम तौल नहीं पाया गया एवं उपयोग में लाया जा रहा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा नियमानुसार सत्यापित पाया गया।



अनुमान अफिसरी,
ज.प्र. शासक अफिसरी की
प्रमुख कार्यालय,
भारत